UPBH010040672024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), बहराइच।
उपस्थित- दीप कान्त मणि, (उच्चतर न्यायिक सेवा,उ०प्र०)
{J. O. Code No.- UP-6472}

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1769/12A/2024</u>

1. आकाश श्रीवास्तव आयु 28 साल पुत्र बृजकुमार श्रीवास्तव,
2. अनुराग कश्यप आयु 25 साल पुत्र राधेश्याम,
3. ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी उर्फ ओम आयु 26 वर्ष पुत्र प्रदीप कुमार त्रिपाठी,

निवासीगण-गण्डारा, थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच।

-------- प्रार्थी/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), जनपद बहराइच।

---------विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या-247/2024
धारा-115(2), 74 बी०एन०एस० व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट,
थाना-कैसरगंज, जनपद- बहराइच।

<u>दिनांकः- 02.08.2024</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण आकाश श्रीवास्तव, अनुराग कश्यप व ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी उर्फ ओम द्वारा मुकदमा अपराध सं०-247/2024, अन्तर्गत धारा-115(2), 74 बी०एन०एस० व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट, थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच के प्रकरण में जमानत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पैरोकार मुकदमा प्रदीप कुमार त्रिपाठी प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228क में उल्लिखित उपबन्धों एवं **ओमप्रकाश बनाम उ०प्र० राज्य 2006(4) सुप्रीम 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करके उसे "पीड़िता" नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुये यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना-पत्र प्रथम है। किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक-18.07.2024 से जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध हैं। अभियोजन कथानक द्वारा फर्जी व नुमाइशी घटना बनाकर उनके विरुद्ध पंजीकृत करा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि घटना

Digitally signed by DEEP KANT MANI
Date: 2024.08.02 16:32:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के दिन मोहर्रम का जुलूस अभियोजन पक्ष द्वारा निकाला गया था। नये रास्ते से ताजिया निकालने की जिद की जाने लगी, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्तगण गण्डारा बाजार में दुकान किये हुए है। उनके द्वारा मना करने पर अभियोजन पक्ष आमादा फौजदारी हो गये तथा पुलिस द्वारा विपक्षीगण को वहां से हटा लिया गया। अभियोजन द्वारा दो घण्टे बाद प्रतिशोध की भावना से पुलिस से साजकर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया। अभियोजन द्वारा तहरीर में घटना का दिनांक व समय का हवाला नहीं दिया गया है। घटना पूर्णतया बनावटी व फर्जी है। प्रार्थीगण बेकसूर व निर्दोष हैं। छेड़खानी जैसी कोई भी घटना मौके पर नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा कर दिये जाने की याचना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो ऐक्ट) द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये उक्त जमानत आवेदन पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो ऐक्ट) के तर्को को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा सायरा बानो पत्नी शरीफ अपने भाई के घर घूमने आई थी। उसकी पुत्री (पीड़िता) उम्र 15 वर्ष किसी कार्य से बाजार गई थी। विपक्षीगण ने बाजार में वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़छाड़ की, बेइज़्ज़ती के इरादे से दुपट्टा खींचा और हाथ से बदन पर दबाया। उसकी पुत्री रोते हुए वापस घर लौटी। वादिनी को मौके पर देखा तो विपक्षीगण को डांटने लगी। इस पर विपक्षीगण ने वादिनी मुकदमा से मारपीट की। वह न्याय हेतु आयी है। उसके भाई का घर गण्डारा में है।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार दिनाँक 17.07.2024 को समय लगभग 00:00 बजे कारित घटना के सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा सायरा बानो पत्नी शरीफ द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच के समक्ष दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.07.2024 को समय 16:42 बजे धारा-115(2), 74 बी०एन०एस० व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट के तहत पंजीकृत की गयी है। विवेचना प्रचलित है।

इस प्रकार अभियोजन के कथनानुसार अभियुक्तगण पर नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी करने तथा स्वेच्छा से चोट पहुंचाते हुए उस पर लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया गया है। घटना के सम्बन्ध में पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-180 बी०एन०एस०एस० में स्वयं की उम्र लगभग 12 साल बताते हुए कथन किया कि वह अपनी मां के साथ बाजार गई थी जहां अभियुक्तगण उसका वीडियो बनाने लगे। उसकी मां के मना करने पर मेरी मां को थप्पड़ मार दिये और वह गिर गयी। अखिलेन्द्र मेरा दुपट्टा खींचकर सीढ़ी से ऊपर ले जाने लगे। इसी प्रकार पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-183 बी०एन०एस०एस० में कथन किया कि मैं अपनी मम्मी के साथ नानी के साथ आयी थी। उस दिन तीन बजे जुलूस देखने मम्मी के साथ गण्डारा गये थे। अभियुक्तगण ने छेड़खानी किया। अखिलेन्द्र ने दुपट्टा खींचा था। शोर पर पब्लिक इकट्ठा हो गयी और अखिलेन्द्र भाग गया। बाकी को लोगों ने चैनल में बन्द कर दिया। इस प्रकार पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-180 बी०एन०एस०एस० व धारा-183 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का पूर्णरूप से समर्थन नहीं

किया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा-180 बी०एन०एस०एस० व धारा-183 बी०एन०एस०एस० में परस्पर विरोधाभाष का होना दर्शित होता है। विवेचक द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजे गये पत्र के पुष्ट पर पीड़िता द्वारा अपना आन्तरिक व बाह्य मेडिकल परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया गया और कहा गया है कि उस पर किकी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार बहराइच में दिनांक-18.07.2024 से निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त आकाश श्रीवास्तव, अनुराग कश्यप व ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी उर्फ ओम द्वारा मुकदमा अपराध सं०-247/2024, अन्तर्गत धारा-115(2), 74 बी०एन०एस० व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट, थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने पर तथा निम्न शर्तों की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती हैः-

1- प्रार्थी/अभियुक्तगण इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे।

2- प्रार्थी/अभियुक्तगण न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेंगे व धमकायेंगे, न ही अभियोजन साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित करेंगे।

3- प्रार्थी/अभियुक्तगण स्वयं का निवास स्थान एवं उनके जमानतियों के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना तुरन्त न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे।

4- प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगा, तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र नहीं देंगे।

5- प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेंगे और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का कोई अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही उनको दी गयी जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेंगे।

6- प्रार्थी/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार से पीड़िता के सम्पर्क में नहीं आयेंगे तथा पीड़िता को प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत की सूचना नियमानुसार दी जाये।

(दीप कान्त मणि)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)
बहराइच।

दिनाँकः 02.08.2024